न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :—14/2025
निर्णय दिनांक :—07.04.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. दामोदर प्रसाद स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी जाति स्वामी आयु 68 वर्ष निवासी गोकुलपुरा तह० फागी जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।
2. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री रवि कुमार जैन वकील प्रार्थीगण

वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज

अर्न्तगत धारा 88 व 136 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक:— 07.04.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी भूमि खाता सं0 52 के खसरा नं0 106/2, 107, 379/2, 391/8 कुल किता 4 कुल रकवा 1.0116 है0 में हिस्सा सम्पूर्ण व खाता सं० 151 के खसरा नं० 109/1, 109/5, 391/9 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0632 है0 में हिस्सा 1/4 जो वाके ग्राम गोकुलपुरा तह0 फागी व खाता सं० 34 के खसरा नं0 12/1, 296/2 कुल किता 2 कुल रकवा 0.8725 है० में हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम कंवरपुरा तह० फागी में स्थित है। जिसे वादपत्र में आगे चलकर विवादित आराजीयात से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् वादी के पिता के नाम खातेदारी में थी। वादी के पिता के निधन के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तकरण वादी के पक्ष में दर्ज हुई। उक्त नामान्तकरण में पटवार हल्का के द्वारा वादी के वास्तविक नाम दामोदर प्रसाद स्वामी दर्ज ना कर उनका केवल दामोदर ही नाम दर्ज कर दिया गया है तथा पिता का नाम भी लादूदास कर दिया गया है। वादी के पिता का नाम लादूराम है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी व उसके पिता का गलत नाम का इन्द्राज हो रखा है। विवादित आराजी

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

पर वादी का शुरु से लेकर आज तक निरन्तर व निर्विवाद रुप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के हिस्से की आराजी से किसी अन्य का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादी का पुरा नाम दामोदर प्रसाद स्वामी है तथा वादी के पिता का नाम लादूराम है। वादी को दामोदर व दामोदर प्रसाद स्वामी व उसके पिता को लादूराम व लादूदास के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है। वादी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पास–बुक्स, पेन कार्ड, सर्विस रिकार्ड व पूर्व में दर्ज रहन नामा व रहन भार मुक्त प्रमाण पत्र में वादी का वास्तविक पुर्ण नाम दामोदर प्रसाद स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी ही दर्ज है। वादी का राजस्व रिकार्ड में मात्र दामोदर पुत्र लादूदास का इन्द्राज होने से वादी किसी प्रकार से राजकीय सहायता, राजकीय अनुदान या अन्य किसी सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। इसलिए उक्त इन्द्राज को दुरस्त करवाये जाने हेतू यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 03.03.2025 को उक्त राजकीय सहायता प्राप्ति हेतु पटवार हल्का से सम्पर्क किया तो पटवार हल्का ने मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने के लिए कहा अतएवं इस कारण से उक्त वाद श्रीमान को प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद का हेतूक दिनांक 03.03.2025 को पटवार हल्का के द्वारा मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु बताये जाने से उत्पन्न हुआ है। जो अन्दर मियाद है। प्रतिवादी सं0 2 के यहा वाके ग्राम कंवरपुरा में स्थित आराजी पर रहन दर्ज होने से औपचारीक पक्षकार कायम किया गया है उनके विरुद्ध किसी प्रकार से कोई राहत नही चाही गई है। वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रतिवादी सं. 01 व 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम गोकुलपुरा में स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 52 व 151 तथा जमाबंदी सम्वत 2076/2079 वाके ग्राम कंवरपुरा मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 34 में वादी के नाम दामोदर पुत्र लादूदास दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी पैतृक होने के सम्बन्ध में जमाबंदी 2035–38 व 2037–40 पेश किया गया। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, पेन्शन कार्ड,

लगातार...............3

उपखण्ड अधिकारी
कामी, जयपुर

(3)

मतदाता पहचान कार्ड, आदि में नाम दामोदर प्रसाद स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 52 के खसरा नं0 106/2, 107, 379/2. 391/8 कुल किता 4 कुल रकवा 1.0116 है0 में हिस्सा सम्पूर्ण व ख़ाता सं० 151 के खसरा नं० 109/1, 109/5, 391/9 कुल किता 3 कुल रकबा 0.0632 है0 में हिस्सा 1/4 जो वाके ग्राम गोकुलपुरा तह0 फागी व खाता सं० 34 के खसरा नं0 12/1, 296/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8725 है० में हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम कंवरपुरा तह० फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन दामोदर पुत्र लादूदास के स्थान पर दामोदर प्रसाद स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक-07.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/4/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकार
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार ॥ (आर.ए.एस.)

1. दामोदर प्रसाद स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी जाति स्वामी आयु 68 वर्ष निवासी गोकुलपुरा तह० फागी जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।
2. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा फागी

अप्रार्थीगण

::–वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज ::–

मु0न0:– 14/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री रवि कुमार जैन हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता सं0 52 के खसरा नं0 106/2, 107, 379/2. 391/8 कुल किता 4 कुल रकवा 1. 0116 है0 में हिस्सा सम्पूर्ण व खाता सं० 151 के खसरा नं० 109/1, 109/5,391/9 कुल किता 3 कुल रकवा 0.0632 है0 में हिस्सा 1/4 जो वाके ग्राम गोकुलपुरा तह0 फागी व खाता सं० 34 के खसरा नं0 12/1, 296/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8725 है० में हिस्सा सम्पूर्ण वाके ग्राम कंवरपुरा तह० फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन दामोदर पुत्र लादूदास के स्थान पर दामोदर प्रसाद स्वामी पुत्र लादूराम स्वामी दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज......................मुबलिग......................बाबत......................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी......................सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.04.2025 को जारी की गई।

दस्तखत......................

मुहर

ओहदा......................

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

7/4/26

(राकेश कुमार ॥)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर